PBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा/2017/6064 (85)

समक्ष-मा. राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर म.प्र.

रा.प्रि.क्र. -

पप्पू उम्र50वर्ष वल्द पन्ना यादव नि.लाखापुर तह. जि. बैतूल

विरुद्ध ... रिवीजनकर्ता (पिटीशनर)

मुन्ना उम्र66वर्ष वल्द मौजीयादव निवासी लाखापुर तह. जि. बैतूल

तह. बैतूल जिला बैतूल म.प्र. ..गैररिवीजनकर्ता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमान, यह रिवीजन अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के प्रकरण क्रमांक 191/अपील/16-17 प्रथम अपील मे पक्षकार मुन्ना वि.पप्पू यादव मौजा मोखडोंगरी जिसमें अपीलार्थी मुन्ना की अपील आदेश दि0 13.11.17 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बैतूल का रा.प्र.क्रं. 36अ27वर्ष 96-97 पक्षकार पप्पू वि.मुन्ना में पारित आदेश दि. 30.9.97 का बटवारा आदेश निरस्त करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमांड करते हुये निर्देशित किया गया है कि दोनो पक्षों के हिस्से में से विक्रय की गई भूमि का रकबा कम करते हुये कब्जे के अनुसार फर्दबटान बुलाया जाकर विधिअनुसार आदेश पारित करें, एवं अपीलार्थी मुन्ना की अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण को गुणदोषों पर निराकरण न करते हुये रिमांड कर दिया गया है, जिससे दुखी होकर यह रिवीजन पेश है ।

श्री दीपक चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि० 13.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4.1.18 नियत।

13.12.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6064-पीबीआर/17 जिला बैतूल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री कुंवरसिंह कुशवाह उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-2-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	